

at which it has been provided to the BPL families. Children who are below ten years and are hearing impaired should be provided with cochlear implantation so that they can get hearing back. They should be provided with loans at 25 paise so that they can start some self-employment units and earn their livelihood. They should be provided reservation in promotions and also in judiciary. Sir, I request the Government of India to sympathetically consider their demands so that they can move ahead in the society with dignity and the goal of equality, as enshrined under the Constitution, is achieved. Thank you.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, I associate with it.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I also associate with it.

### Exemption on Transportation of Animals during Bakar ID

श्री अबू आसिम आजमी (उत्तर प्रदेश): थैंक्यू सर। सर, मैं आपका और हाउस का ध्यान एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इस मुल्क के अन्दर कानून सबके लिए बराबर है। Slaughtering हर मजहब के लोग करते हैं। कोई जानवरों को जबह करता है, कोई उसे करंट लगा कर मार देता है, कोई direct उसकी पूरी गर्दन निकाल देता है। इस तरह का कानून इस देश के अन्दर है। लेकिन जो कानून बना हुआ है, उसमें बहुत जगह exemption भी मिला हुआ है। आज जब जानवरों को लेकर निकलते हैं, तो इस देश में जो बहुत सारे संगठन हैं, अब बकरीद का मौसम आ रहा है, वे संगठन बकरीद का मौसम आते ही बहुत ज्यादा active हो जाते हैं और जानवरों की गाड़ियों को रोक कर जानवर उतार लिए जाते हैं। इस देश के अन्दर एक लॉ है, Cruelty to Animals Act, 1960, जिसके अनुसार जानवरों को हिफाजत के साथ ले जाना चाहिए। जानवरों की हिफाजत होनी चाहिए, उनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर slaughtering allowed है। बकरीद में जो जानवर जाते हैं, अगर उनमें से किसी का पैर टूट गया, किसी का चमड़ा कट गया, हड्डी टूट गई, सींग टूट गई, तो वह जानवर कुर्बानी के काबिल नहीं रहता। जो व्यापारी उसे ले जा रहा है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, चमड़ा बेचते हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर चमड़ा कट गया, तो फिर उसका दाम 70 परसेंट जैसे ही कम हो जाता है। व्यापारी खुद इस बात का ख्याल रखता है कि मैं जिन ट्रकों में जानवर ले जा रहा हूँ, कहीं ज्यादा जानवर हो गए, कहीं जानवर खराब हो गए, सींग टूट गई या उसके अन्दर कोई ऐब निकल गया, तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसी की आड़ लेकर कुछ संगठन ट्रक से जानवरों को उतार लेते हैं और उन्हें उतार कर, उनका एक संगठन है 'पंजड़ा पोल', उसके अन्दर जानवरों को ले जाकर रख देते हैं और फिर व्यापारियों से कहते हैं कि उस पर जितना खर्च हुआ है, वह लाकर दो। फिर उस पर मुकदमा होता है। लेकिन आज तक यह रेकार्ड है कि 'पंजड़ा पोल' से किसी को कोई जानवर वापस नहीं मिला। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि वह संगठन, अगर सड़क पर 5 कुत्ते मर जाएँ, तो बहुत चिल्लाता है, लेकिन अगर सड़क पर 5 आदमी मर जाएँ, तो उन्हें उसकी फ़िक्र नहीं रहती है। अल्लाह का करम है, ऊपरवाले की मेहरबानी है कि बर्ड फ्लू में कोई मरा नहीं। लेकिन जब बर्ड फ्लू आया, तो मुर्गियों को बोरी में भर कर जिन्दा जमीन में डाल दिया गया। कुछ जगह ऐसा वाकया हुआ कि मुर्गियाँ जमीन खोद कर बाहर आ गईं। उस पर कोई नहीं चिल्लाया। सर, आप मुम्बई की रेलवे में जाकर देखें, तो जैसे लोग खड़े होते हैं, इंसान नहीं, जानवरों से बुरी हालत रहती है। कोई संगठन इस पर नहीं चिल्लाता। ... (व्यवधान) ... सर, मेरी बात खत्म होने दीजिए। जेल के अन्दर, जहाँ बैरक में 60 लोगों के रहने की जगह है, वहाँ 200 लोग रहते हैं। वे बदन से बदन लगा कर सोते हैं। इस पर कोई चिल्लाता नहीं। सर, मेरा यह कहना है कि इस मुल्क में exemption मिला हुआ है। जैसे noise pollution के नाम पर 10 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर नहीं चल सकता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से छूट दे सकती है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को जितनी देर चाहो, लाउड स्पीकर चलाओ। इसी तरह से मेरा कहना है कि आज किसान बहुत परेशान हैं। आज जो किसान जानवर पालता है, जब वह बेचारा जानवर लेकर जाता है, तो उसके जानवर रोक लिए जाते हैं, उसको परेशान किया जाता है। कम-से-कम बकरीद के मौसम में जो जानवर जाते हैं, उन पर exemption मिलना चाहिए। व्यापारी को खुद फिक्र है कि उसके जानवर कहीं खराब तो नहीं

ہو رہے ہیں، انہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو دوسرے संगٹن ہیں، وہ سڑک پر خڑے ہو کر پولیس کی مدد سے جانور کو उتار لیتے ہیں، مارتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اس سے کوربانی میں بڑی دیکھتے ہوئی ہیں۔ سر، یہاں سے سینٹرل گورنمنٹ کا کچھ آرڈر نکلنا چاہیے کہ جانوروں کو روکنے والے یہ संगٹن یہاں سے ہٹا دیے جائیں اور کوربانی میں exemption ملنا چاہیے۔ یہ میری مانگ ہے، تاکہ لوگ اپنے تئوہار کو اچھی तरह مٹا سکیں۔ شکریا۔

اشرفی ابو عاصم اعظمی ”اتر پردیش“: تھینک یو سر۔ سر، میں آپ کا اور ہاؤس کا دھیان ایک ایک

مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اس ملک کے اندر قانون سب کے لئے برابر ہے۔ Slaughtering

مذہب کے لوگ کرتے ہیں۔ کوئی جانوروں کو ذبح کرتا ہے، کوئی اسے کرنٹ لگا کر مارتا ہے، کوئی ڈائریکٹ

اس کی پوری گردن نکال دیتا ہے۔ اس طرح کا قانون اس دیش کے اندر ہے۔ لیکن جو قانون بنا ہوا ہے، اس

میں بہت جگہ exemption بھی ملا ہوا ہے۔ آج جب جانوروں کو لیکر نکلتے ہیں، تو اس دیش میں جو بہت

سارے سنگٹن ہیں، اب بقر عید کا موسم آ رہا ہے، وہ سنگٹن بقر عید کا موسم آتے ہی بہت زیادہ ایکٹیو ہوجاتے

ہیں اور جانوروں کی گاڑیوں کو روک کر جانور اتار لئے جاتے ہیں۔ اس دیش کے اندر ایک لاء ہے، Cruelty

to Animals Act, 1960، جس کے مطابق جانوروں کو حفاظت کے ساتھ لے جانا چاہئے۔ جانوروں کی

حفاظت ہونی چاہئے، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہئے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہاں پر

slaughtering allowed ہے۔ بقر عید میں جو جانور جاتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کا پیر لوٹ گیا، کسی کا چمڑا

کٹ گیا، ہڈی لوٹ گئی، تو وہ جانور قربانی کے قابل نہیں رہتا۔ جو ویاپادی اسے لے جا رہا ہے، جو لوگ

ایک سپورٹ کرتے ہیں، چمڑہ بیچتے ہیں، ان کا بہت بڑا نقصان ہوجاتا ہے۔ اگر چمڑہ کٹ گیا، تو پھر اس کا دام

بے فیصد ویسے ہی کم ہوجاتا ہے۔ ویاپادی خود اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں جن ٹوکوں میں جانور لے جا رہا

ہوں، کہیں زیادہ جانور ہو گئے، کہیں جانور خراب ہو گئے، سینگ لوٹ گئی یا اس کے اندر کوئی عیب نکل گیا تو اس

جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اسی کی آڑ لیکر کچھ سنگٹن ٹوک سے جانوروں کو اتار

لیتے ہیں اور انہیں اتار کر، ان کا ایک سنگٹن ہے ”پنچراپول“، اس کے اندر جانوروں کو لے جا کر رکھ دیتے

ہیں اور پھر ویاپادیوں سے کہتے ہیں کہ اس پر جتنا خرچ ہوا ہے، وہ لا کر دو۔ پھر اس پر مقدمہ ہوتا ہے۔ لیکن

آج تک یہ ریکارڈ ہے کہ ”پنچراپول“ سے کسی کو کوئی جانور واپس نہیں ملا۔ سر، میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سنگٹن،

اگر سڑک پر ۵ کتے مرجائیں، تو بہت چلاتا ہے، لیکن اگر سڑک پر ۵ آدمی مرجائیں، تو انہیں اس کی فکر نہیں

رہتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اوپر والے کی مہربانی ہے کہ بڑے فلو میں کوئی مر نہیں۔ لیکن جب بڑے فلو آیا، تو

مرغیوں کو پوری میں بھر کر زندہ زمین میں ڈال دیا گیا۔ کچھ جگہ ایسا واقعہ ہوا کہ مرغیاں زمین کھود کر باہر آ گئیں۔

اس پر کوئی نہیں چلایا۔ سر، آپ ممبئی کی ریلوے میں جا کر دیکھیں، تو جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، انسان نہیں،

جانوروں سے بری حالت رہتی ہے۔ کوئی سنگٹھن اس پر نہیں چلاتا۔.... مداحلت.... سر، میری بات ختم ہونے دیجئے۔ جیل کے اندر، جہاں بیرک میں ۶۰ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں ۲۰۰ لوگ رہتے ہیں۔ وہ بدن سے بدن لگا کر سوتے ہیں۔ اس پر کوئی چلاتا نہیں۔ سر، میرا یہ کہنا ہے کہ اس ملک میں exemption ملا ہوا ہے۔ جیسے noise pollution کے نام پر ۱۰ بجے رات کے بعد لاؤڈ اسپیکر نہیں چل سکتا، لیکن سینٹرل گورنمنٹ اپنی طرف سے چھوٹ دے سکتی ہے۔ ۲۶ جنوری اور ۱۵ اگست کو چھٹی دیر چاہو، لاؤڈ اسپیکر چلاؤ۔ اسی طرح سے میرا کہنا ہے کہ آج کسان بہت پریشان ہیں۔ آج جو کسان جانور پالتا ہے، جب وہ بیچارہ جانور لیکر جاتا ہے، تو اس کے جانور روک لئے جاتے ہیں، اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ کم سے کم بقر عید کے موسم میں جو جانور جاتے ہیں، ان پر exemption ملنا چاہئے۔ دیاباری کو خود لگ رہے کہ اس کے جانور کہیں خراب تو نہیں ہو رہے ہیں، انہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو دوسرے سنگٹھن ہیں، وہ سڑک پر کھڑے ہو کر پولیس کی مدد سے جانور کو اتار لیتے ہیں، مارتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اس سے قربانی میں بڑی دقتیں ہوتی ہیں۔ سر، یہاں سے سینٹرل گورنمنٹ کا کچھ آرڈر نکلنا چاہئے کہ جانوروں کو روکنے والے یہ سنگٹھن وہاں سے ہٹائے جائیں اور قربانی میں exemption ملنا چاہئے۔ یہ میری مانگ ہے، تاکہ لوگ اپنے تہوار کو اچھی طرح مناسکیں۔ شکر یہ۔

”ختم شد“

### SPECIAL MENTIONS

#### Demand for immediate steps to extend benefits to all the people included in the BPL in Rajasthan

श्री ललित किशोर घटुर्वेदी (राजस्थान): महोदय, भारत सरकार ने वर्ष 2002 में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के सर्वेक्षण के समय राजस्थान के लिए 17.36 लाख लोगों की सीमा तय की थी और उस समय आर्थिक सामाजिक सूचकांक निर्धारित किए थे। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 के सर्वे में वरीयता क्रम में 17.36 लाख लोगों की तय सीमा तक ग्रामीण बीपीएल परिवारों की सूची जारी कर दी गई।

सूची में नाम नहीं आने या गलत नाम आने पर पीड़ितों द्वारा अपील का प्रायधान भारत सरकार एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमत है। इसके अतिरिक्त सूची में 30 प्रतिशत से अधिक अंतर होने पर कलक्टर स्वयं भी पुनर्सत्यापन कर सकता है। इस सूची में नाम जुड़ने-घटने की इस प्रकार यह एक सतत प्रक्रिया है।

राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित सूची के विरुद्ध 15,69,954 अपीलें दर्ज हुईं। इनमें निर्णय के फलस्वरूप वरीयता सीमा में आने वाले 6,10,874 लोगों के नाम जोड़ने एवं 1,88,825 के नाम काटने का निर्णय हुआ। फलस्वरूप चयनित परिवारों की संख्या 17.36 लाख से बढ़ कर 21.58 लाख हो गई। भारत सरकार द्वारा इस वृद्धि को स्वीकार नहीं करके अपनी पूर्व निर्धारित सीमा तक ही लाभान्वित करने के निर्णय से बीपीएल परिवारों का हक छीना जा रहा है। यह अपने ही बनाए नियमों और मानदंडों की अवहेलना है। अतः मैं मांग करता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा चयनित समस्त लोगों को लाभान्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए।